कूडा एकत्रित करने हेतु अस्थाई लाईसेंस के सम्बन्ध में विस्तृत शर्ते

1. उक्त लाईसेंस अधिकतम बोलीदाता को 01 वर्ष के लिये दिया जायेगा। 01 वर्ष पश्चात् उक्त स्थल को छावनी परिषद् के अधिकृत प्रतिनिधि को स्थल की सफाई करके सौंपना होगा।
2. उक्त स्थल के आस पास साफ सुथरा वातावरण होना चाहिये व गीला कूडा एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।
3. छावनी परिषद् के अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी कार्य दिवस में उक्त स्थल का निरीक्षण कर सकते है एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
4. यह स्थल पूर्णतहः अस्थाई तौर पर दिया जा रहा है यदि बोर्ड द्वारा अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा इस के प्रयोग के लिये आपत्ति की जाती है तो मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे 07 दिन का नोटिस दे कर उक्त स्थल को खाली करा सकते है व इस सम्बन्ध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. उक्त स्थल को कूडा करकट एकत्रित करने हेतु दिया जा रहा है इसमें अन्य कोई व्यापार नहीं किया जायेगा।
6. उक्त प्रकिया में केवल कबाड का व्यवसाय करने वाले स्थानीय व्यापारियों ही भाग ले सकते है व दर भरते समय प्रस्ताव के साथ इस आशय का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। जिसकी फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी।
7. इस प्रकिया में भाग लेने वाले द्वारा छावनी परिषद् के सभी देयकों का भुगतान करने की रशीद की प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी।
8. भरी गई दरों के अतिरिक्त यदि कोई देयक/लाईसेंस /फीस किसी भी सक्षम प्राधिकारी/विभाग द्वारा वांछित हो तो इसके भुगतान की जिम्मेवारी आंवटित लाईसेंसी की होगी।
9. किसी विवाद के खडे होने पर मध्यस्तता के रूप में दोनों की सहमति से नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
10. शर्तो सहित प्रस्ताव, निरस्त करने येाग्य होगा।
11. छावनी परिषद् को किसी भी समय इस प्रकिया को अथवा अधिकतम दर भरने वाले प्रस्ताव को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. लाईसेंस शुल्क प्रत्येक महीने के दिनांक 07 तक अग्रिम जमा करना होगा ऐसा ना होने पर लाईसेंस मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. प्रस्ताव के साथ **रू0 5000/– की अग्रिम धरराशि (Earnest Money)** भी जमा करनी होगी जोकि असफल बोली प्रस्तावकों को दर अन्तिम होन के 01 माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।
14. सफल प्रस्तावको को **रू0 10000/– मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम जमानत राशि** जोकि एस0टी0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में हो सकती है कार्यालय में जमा करनी होगी। यह धनराशि अनुबन्ध का समय समाप्त होने पर अर्थात 01 वर्ष पश्चात् वापस करने योगय होगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद लैन्सडौन।
(भूपति रोहित, IDES)